

16.6.15

श्री पत्रावली राजस्व जोड़ बढ़ावत अटन सेवा केन्द्र खेही
पर प्रस्तुत हुई। समझावण के पश्चात भी पक्ष कारण में
शजीनामा / सहमति नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूरा
आदेशानुसार न्यायालय में दिनांक.....को पेश हो।
22.6.15

22.6.15

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.7.15 को पेश हो।

27.7.15

पीठासीन अधिकारी महोदय, भ्रमण/अवकाश पर हैं। अतः
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.8.15 को पेश हो।

18.8.15

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.10.15 को पेश हो।

14.10.15

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.12.15 को पेश हो।

8.12.15

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.2.16 को पेश हो।

3.2.16

अतिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अतः
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28.3.16 को पेश हो।

28.3.16

पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.5.16 को पेश हो।

10.6.16

श्री पत्रावली राजस्व जोड़ बढ़ावत अटन सेवा केन्द्र
न्याय अथवा कोर्ट 2016 में प्रस्तुत की जा चुकी
है। न्याय के दौरान न्यायिक अर्थ में कोर्ट
आदेशानुसार दिनांक के बाद भी प्रार्थना उपरलक्षित
अन्य प्रार्थना पत्र अथवा दफ्तर अथवा कोर्ट
के द्वारा कोर्ट जाता है पत्रावली के द्वारा
गुप्त होकर प्रत्येक के लिये हिल गन है।

जज (निष्पक्ष न्याय)
लोक अदालत